EE'S SIGNATURE

सूचना का अधिकार

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने हेतु प्रार्थना पत्र

(सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 (वर्ष 2005 का केन्द्रिय अधिनियम सं0 22 के नियम 6 (1) एवं राजस्थान सरकार का नियम 3 के अन्तर्गत)

प्रभारी अधिकारी (सूचना)
भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र

Cellfile. 78720/2015/CA/RTI
dt-23/7/15

1. अनुरोधकर्ता का नाम SUSHIL JOHI
पिता / पति का नाम GOPAL JOHI
पत्राचार / सम्पर्क का पता – ग्राम / नगर CHOMU पोस्ट CHOMU
तहसील CHOMU जिला JAIPUR पिन कोड 303702
टेलीफोन नम्बर एस0 टी0 डी0 कोड सहित –
9785859899

चाही गई सूचना का स्पष्ट विवरण –

1. खाने वाले चूने को सब्जी की फसल में खाद के रूप में काम में लिया जा सकता है (गोभी, लौकी, मटर, ग्वार मटर, मिर्च)
2. चूने को खाद के रूप में काम में लेने पर कीड़ा, अथवा रोग नहीं लगती
3. चूने को खाद के रूप में काम में लेने पर उपजाऊ फसल या जमीन पर कोई फर्क पड़ता है

जानकारी कैसे प्राप्त करना चाहेंगे – स्वयं अथवा डाक द्वारा डाक द्वारा
यदि जानकारी डाक द्वारा चाहते हैं तो किसी एक को चिन्हित करें (साधारण / पंजीकृत / स्पीड) ✓

आवेदन शुल्क जमा कराने का प्रमाण (नकद / बैंक ड्राफ्ट / पोस्टल आर्डर द्वारा) ✓
32F 452097

यदि प्रार्थी बी0 पी0 एल0 श्रेणी का है तो प्रमाण पत्र संलग्न करें

आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि 20/7/2015

स्थान – Chomu
दिनांक – 20/7/2015

Sushil Joshi

कृ. S.L
2/7/7

BY SPEED POST/FAX
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान (भा०कृ०अनु०प०)
नबीबाग बैरसिया रोड, भोपाल - 462038
ICAR-Indian Institute of Soil Science
Nabibagh, Berasia Road, Bhopal–462038 (M.P.)
Tel. No. (0755)2747375 EPABX: 2730970/2734221 (Ext. No. 252 & 256) Fax. No. (075) 2733310
www.iiss.nic.in

Date: 1.09.2015

Application No. 93-08/IISS/RTI/2015

To

Shri Sushil Jogi S/O Shri Gopal Joshi,
Vill-Chomu, Post and Tehsil-Chomu,
Jaipur 303702
Rajasthan

Sub: Seeking information under RTI Act, 2005 – reg.

Sir,

Please find enclosed herewith information in response to your application under RTI dated 18.08.2015. Further it is informed that the Appellate Authority is Director, IISS, Bhopal and his telephone no. is 0755-2730946.

O/C

01/09/2015

(R. Elanchezhian)
Principal Scientist & CPIO

To

Dr. P.P. Biswas
Krishi Anusandhan Bhavan-II,
Indian Council of Agricultural Research,
New Delhi-110012

2

RTI reply

1 खाने वाले चूने को किसी भी फसल में डालने की अनुसंशा नही की जाती है। चूने के प्रयोग की अनुसंशा सामान्यतः अम्लीय मृदाओं की मृदा अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए की जाती है जिससे फसलों का विकास अच्छा हो। इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में चूने की जरूरत होती है। अतः खाने के चूने का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से कभी भी तर्क संगत नही रहेगा।

2 चूना खाद् के रूप मे उपयोग नहीं लाया जा सकता है। इसमें प्रमुख पोषक तत्व विधमान नहीं रहते । सिर्फ कैल्शियम ही इसमें उपलब्ध होता है जो कि एक गौण पोषक तत्व है और गैर अम्लीय मृदाओं में इसकी कमी सामान्यतः नहीं रहती है। अतः खाने वाले चूने को खाद के रूप में प्रयोग करना सही नहीं होगा।

3 खाने के चूने का जमीन या फसल पर प्रभाव इसकी उपयोग की मात्रा पर निर्भर करता है। उच्च पी.एच. मान वाली मृदा में चूने के अत्यधिक उपयोग से फसल व मृदा कुप्रभावित होगी।

22/08/15